Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

नो–डिटेंशन नीति

❖ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों सहित लगभग 3000 केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 5 और 8 के बच्चों को फेल होने पर आगे की कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।
- हालांकि कक्षा 5 और 8 में फेल होने वाले छात्रों को दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा लेकिन अगर दोबारा भी कोई विद्यार्थी परीक्षा पास करने में असफल रहता है तो फिर ऐसे छात्र को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का यह निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के 5 वर्ष बाद आया, जिसमें राज्यों और केंद्र को कक्षा 5 और 8 में छात्रों को फेल होने के बाद उसी कक्षा में रोकने की अनुमति मिली है।

❖ नो–डिटेंशन नीति क्या थी और इसे क्यों लागू किया गया था ?

- ** बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE, Right to Education) अधिनियम–2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था।
- इस अधिनियम की धारा–16 कहती है कि स्कूल में दाखिला लेने वाले किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक यानि कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में न तो रोका जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा।

- इस धारा के लागू करने के पीछे यह तर्क था कि एक ही कक्षा में दोबारा बच्चे को रोकना, बच्चे के लिए हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, जिसके परिणामस्वरुप बच्चे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ सकते हैं।
- नो डिटेंशन नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि छात्र/छात्रा स्कूल छोड़े बिना कम से कम अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें।
- इस अधिनियम में यह भी कहा गया था कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

❖ आरटीई (RTE) में संशोधन क्यों किया गया ?

- ** शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 को संशोधन करने के लिए वर्ष 2017 में एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था।
- ** इस संशोधन के तहत RTE अधिनियम–2009 की धारा–16 के स्थान पर एक खंड जोड़ा गया था जिसमें यह कहा गया था कि कक्षा 5 और 8 में शैक्षणिक वर्ष के अंत में एक नियमित वार्षिक परीक्षा ली जाएगी तथा यदि बच्चा परीक्षा में असफल हो जाता है तो उन्हें 2 महीने के भीतर पुन: परीक्षा देनी पड़ेगी और अगर बच्चा दोबारा दिए परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो संबंधित सरकार स्कूलों को बच्चों को उसी कक्षा में रोकने की अनुमति दे सकती है।
- बच्चे को उसी कक्षा में रोकने का निर्णय राज्य और केंद्र अपने दायरे में आने वाले स्कूलों में ले सकेंगे।
- जब यह संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया तो इसमें कहा गया कि अधिनियम की धारा–16 के कारण छात्र/छात्राओं की उपस्थिति विद्यालय में कम रही जो इस धारा के उद्देश्यों की विफलता को दर्शाता है।
- इस संशोधन विधेयक को एक स्थायी समिति के पास भेजा गया जिसमें इस समिति द्वारा नो डिटेंशन नीति हटाने की सिफारिश की गई।
- ** नो–डिटेंशन नीति को हटाकर संशोधित RTE अधिनियम–2009 को वर्ष 2019 में पारित किया गया।

❖ नो–डिटेंशन नीति के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क थे ?

- वर्ष 2012 में सर्वोच्च शिक्षा सलाहकार निकाय, "केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड" (CABE, Central Advisory Board of Education) ने "नो–डिटेंशन नीति" के प्रावधान के संदर्भ में "निरंतर और व्यापक मूल्यांकन" (CCE, Continuous and Comprehensive Evaluation) की जांच के लिए एक उप–समिति का गठन किया गया।
- हरियाणा की तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अध्यक्षता में बनी इस उप–समिति ने "नो–डिटेंशन नीति" में अधिक लचीलापन लाने की सिफारिश की गई, जिसमें कमजोर या फेल छात्रों को दोबारा उसी कक्षा में रखने की अनुमति की सिफारिश की गई।
- इस उप–समिति ने अपने रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी दो प्रमुख रुझानों का उल्लेख किया गया।
- इस समिति ने NGO प्रथम की वार्षिक शिक्षा स्थिति के रिपोर्ट का उल्लेख किया गया, जिसमें बच्चों के "सीखने के स्तर में गिरावट" का उल्लेख किया गया।
- इस रिपोर्ट में कहा गया कि "नो–डिटेंशन नीति" के कारण वर्ष 2018 से 2013 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के छात्रों में कक्षा–2 का पाठ पढ़ने की क्षमता में 10% तक की गिरावट आई।

- इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि "नो डिटेंशन नीति" बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने एवं छात्रों के बीच विफलता के डर को दूर करने जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहा जबकि स्कूलों में इसे अक्सर मूल्यांकन की कोई प्रासंगिकता नहीं के रूप में गलत प्रभाव पड़ा।

❖ नो डिटेंशन नीति के विपक्ष में तर्क :

- डिटेंशन नीति के पक्षधर लोगों ने तर्क दिया कि इस समिति को यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं देना है कि बच्चों को असफल होने के बाद दोबारा उसी कक्षा में रखने से बच्चों को सीखने में मदद मिली।
- कई शिक्षाविदों ने तर्क दिया कि वर्तमान में सरकारी स्कूल में जाने वाले अधिकांश हाशिए पर रहने वाले समूहों से हैं जो डिटेंशन नीति के तहत प्रभावित होते हैं।
- वर्ष 2015 में उप–समिति की रिपोर्ट को CABE को सौंपा गया तथा CABE ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने विचार साझा करने के लिए कहा।
- रिपोर्ट में अपने विचार को साझा करने वाले 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 18 ने सुझाव दिया कि "नो डिटेंशन नीति" को संशोधित किया जाए।
- *** अपने सुझावों में मध्य प्रदेश एवं पंजाब जैसे राज्यों ने कहा कि कक्षा 5 और 8 में बोर्ड परीक्षा शुरू की जाए।
- *** कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने कहा कि न्यूनतम 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए "नो–डिटेंशन नीति" जारी रहनी चाहिए।
- *** वर्ष 2016 में CABE द्वारा "नो–डिटेंशन नीति" खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि "नो डिटेंशन नीति" के कारण छात्र/छात्रा अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे।
- *** इसी बीच वर्ष 2016 में टीएसआर सुब्रमण्यम समिति द्वारा नई शिक्षा नीति–2016 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कक्षा 5 तक "नो डिटेंशन नीति" जारी रखने की बात कही गई।

❖ कौन से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नो–डिटेंशन नीति को बरकरार रखा ?

- *** वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और अंडमान और निकोबार दीप समूह जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने "नो डिटेंशन नीति" को बरकरार रखा।
- *** हालांकि दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों ने नो डिटेंशन नीति को रद्द कर दिया।

स्टार पॉइंट वाले पैराग्राफ प्रीललम्स एग्जाम के ललए अति महत्वपूर्ण हैं

MCQ–1 : शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के तहत निम्न कथनों पर विचार करके सही विकल्प चुनें–

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।
2. इस अधिनियम की धारा–16 में "नो डिटेंशन नीति" का उल्लेख किया गया है।
3. इस अधिनियम में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

a) कथन 1 और 2 सही है।
b) तीनों कथन सही है।
c) केवल कथन 2 और 3 सही है।
d) तीनों कथन गलत है।

Ans.–(a)

Result Mitra

हम आपको रिजल्ट देने आये हैं.

Result Mitra

1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.

2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹

3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹

4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹

5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹

कोर्स या Test Series के लिए

WhatssApp कीजिये

9235313184, 9235446806